

फर्द अहकाम

मानुष

बनाम जनपदी

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

केस संख्या 22/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
27-1-20		<p>वकील उरिनादी उपस्थित   इन्फान्फ्रमेटिव                      वकील वादी उपस्थित था कि लेकिन साक्ष्य वही                      जिस्ट हेर उपस्थित नहीं होना चाहिए वही                      हुं ब्यक्त नाए जबकि पूर्व में इनपुट                      शर्त पर तिमि अक था कि साक्ष्य वादी के बिना                      हेर आवश्यक केन से वेरा को बनया वर पर                      खरिज पर मि जाहेगा लेकिन साक्ष्य वही                      आज उपस्थित नहीं आये   जस्टि उरिनादी                      आफ्नी पुवाना हे वथा माए साक्ष्य वही वी                      डिस्ट से लम्बित पला आ रहा है।                      बतः उरिनादी अक उरिनादी के                      खरिज किया जाता है जगन्नी उरिनादी                      उगत <del>अ</del> हेर दाखिल दफ्तार हो</p>

उप खण्ड अधिकारी  
 शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान